भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 98

(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया गया)

कंपनी कानून के अंतर्गत मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कदम

98. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:
श्री जुगल किशोरः
श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा कंपनी कानून के अंतर्गत राजस्थान और देश के अन्य भागों के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;
(ख) उक्त कदमों के परिणामस्वरूप कितने मामले वापस लिए गए और कम किए गए तथा उनका ब्यौरा क्या है और उक्त कितने मामले दिल्ली से संबंधित हैं;
(ग) क्या सरकार राजस्थान और देश के अन्य भागों में व्यवसाय में सुगमता में सुधार करने और कारपोरेट शासन ढांचे को बढ़ाने के लिए कोई अतिरिक्त कदम उठा रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने विभिन्न न्यायलयों में लंबित अभियोजनों की समीक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। 2017 में और बाद में 2022 में, अभियोजन वापस लेने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एमसीए के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों को उन अपराधों से मुक्त करना था जो प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे न्यायालय गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। यह परिकल्पना की गई थी कि प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के मामलों को एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जा सकता है।
तदनुसार, 2017 में चलाए गए विशेष अभियान-I में 14,247 अभियोजन वापस ले लिए गए। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न हिस्सों में 2023-24 में विशेष अभियान- II में 6266 अभियोजन वापस ले लिए गए।
राजस्थान राज्य (आरओसी जयपुर) और दिल्ली (आरओसी दिल्ली और हरियाणा) में पहचाने गए और वापस लिए गए मामलों की संख्या क्रमशः 10 और 18 थी। इसके अतिरिक्त, 30.11.2024 की स्थिति को, आरओसी जयपुर और आरओसी दिल्ली के पास लंबित अभियोजनों की संख्या क्रमशः 258 और 938 है।

(ग) और (घ): सरकार समय-समय पर व्यवसाय में सुगमता में सुधार करने और कारपोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है जो राजस्थान सहित पूरे देश में लागू हैं। कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) कंपनी और एलएलपी अधिनियमों के अंतर्गत 63 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। अपराध की श्रेणी से बाहर करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और अभियोजन मामलों को अधिनिर्णयन की ओर स्थानांतरित करना भी रहा है;

(ii) निगमन के लिए केन्द्रीकृत कम्पनी रजिस्ट्रार (सीआरसी) की स्थापना;

(iii) कंपनियों और एलएलपी के स्वैच्छिक निकास के लिए त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केन्द्र की (सी-पेस) स्थापना;

(iv) सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) के अंतर्गत फ़ाइल किए गए ई-प्ररूपों की केन्द्रीकृत संवीक्षा के लिए केन्द्रीय जांच केन्द्र (सीएससी) की स्थापना;

(v) 50 से अधिक प्ररूपों को एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) में परिवर्तित करना जिनके लिए पहले क्षेत्रीय कार्यालयों का अनुमोदन अपेक्षित होता था;

(vi) विनिर्दिष्ट गैर-एसटीपी ई-प्ररूपों के केन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) की स्थापना;

(vii) व्यवसाय को तुरंत शुरू करने के लिए कंपनी के निगमन के समय नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, व्यावसायिक कर पंजीकरण, दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण, जीएसटी संख्या, बैंक खाता खोलना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एजाइल प्रो-एस नामक लिंक किए गए प्ररूप के साथ एक नया ई-प्ररूप एसपीआईसी+ शुरू करना। इसी तरह, एक ही आवेदन में समान सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ई-प्ररूप एफ़आईएलएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) पेश किया गया था;

(viii) ऐसी लघु कंपनी की प्रारंभिक सीमा को बढ़ाकर लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिसकी प्रदत्त पूंजी 4.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 40.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इसी प्रकार, लघु एलएलपी की अवधारणा पेश की गई है जो अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कम अनुपालन, कम शुल्क के अध्यधीन है;

(ix) 15.00 लाख रुपए तक की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क;

(x) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के तहत विलय के लिए विस्तारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में अन्य स्टार्टअप और लघु कंपनियों के साथ स्टार्टअप्स के विलय को शामिल किया गया है, ताकि विलय और समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।

(xi) सीए-2013 की धारा 233 (क्षेत्रीय निदेशकों के अनुमोदन के माध्यम से फास्ट ट्रैक विलय और समामेलन) का दायरा बढ़ाया गया। इसमें अब भारत से बाहर निगमित अंतरणकर्ता विदेशी कंपनी (धारक कंपनी होने के नाते) का भारत में निगमित अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ विलय भी शामिल है।

*****